कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय, झाबुआ (म.प्र.)

कमांक/1186/पी.एल.व्ही./जिविसेप्रा/26 झाबुआ, दिनांक 29/10/2026

//सूचना//

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा जारी विज्ञापन कमांक कमांक 1012/पी.एल.व्ही./जिविसेप्रा/26 झाबुआ दिनांक 24.09.2026 के माध्यम से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NLSA) Scheme For Para Legal Volunteers (Revised) के अंतर्गत जिला झाबुआ एवं तहसील थांदला तथा पेटलावद हेतु पी.एल.व्ही. के चयन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गये थे।

उक्त विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 26.10.2026 निर्धारित थी। पात्र अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि में 30 दिवस की वृद्धि की जाती है।

अतः इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी दिनांक 25.11.2026 तक अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप अनुसार कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर झाबुआ में जमा कर सकते है।

आवेदन प्रारूप एवं विज्ञापन जिला न्यायालय, झाबुआ की अधिकारिक वेबसाईट https://jhabua.dcourts.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

आवेदन निर्धारित पात्रता एवं मूल विज्ञापन में उल्लेखित शर्तो के अधीन स्वीकार किए जायेगें। अन्य सभी शर्ते मूल विज्ञापन के अनुसार यथावत रहेगी।

29/10/2026

जिला न्यायाधीश/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ

जिला न्यायाधीश एवं सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला न्यायालय झाबुआ (म.प्र.)

पी.एल.व्ही. चयन वर्ष 2026

आवेदन–पत्र

"जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ (म.प्र.) में पैरालीगल वालेंटियर चयन हेतु आवेदन–पत्र"

प्रति,

श्रीमान सचिव महोदय,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
झाबुआ (म.प्र.)

महोदय,

सादर निवेदन है कि मैं प्रार्थी/प्रार्थिया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ द्वारा संचालित पैरालीगल वालेंटियर्स योजना से जुड़कर पैरालीगल वालेंटियर बनना चाहता/चाहती हूँ तथा मैं विधिक सेवा के क्षेत्र में स्वेच्छया अपना समय योगदान एवं सेवा कार्य करने के लिये सहमत हूँ। मेरी व्यक्तिगत जानकारी इस प्रकार से है :–

1. पूरा नाम :.....
2. पिता/पति का नाम :
3. उम्र, जाति एवं धर्म :
4. व्यवसाय (वर्तमान) :
5. प्राप्त शिक्षा एवं अन्य योग्यता :
6. वर्तमान कक्षा व महाविद्यालय :
7. सामाजिक कार्यानुभव :
8. विशिष्ट उपलब्धि एवं कार्य :
9. स्थायी निवास का पूरा पता :
 जिला (म.प्र.) पिन
10. पत्राचार का पूरा पता :
 जिला (म.प्र.) पिन
11. दूरभाष नंबर/मोबाईल नंबर मोबाईल WhatsApp नंबर
 एसटीडी कोड दूरभाष
 E-Mail ID:
12. कौन से ग्राम पंचायत/जनपद :
 पंचायत में कार्य करना चाहते है? :

यह कि मैं जानता/जानती हूँ कि पैरालीगल वालेन्टियर का कार्य पूर्णतः सेवा कार्य है, नौकरी नहीं है। मैं स्व–घोषित करता/करती हूँ कि किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा मेरे विरूद्ध न तो कोई दोषिसिद्धि हुई है और ना ही वर्तमान में कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है। उपरोक्तानुसार दी गई जानकारी सत्य एवं विश्वास करने योग्य है।

संलग्न :– 1. शैक्षणिक योग्यता से संबंध प्रमाण–पत्र।
2. आधार/मतदाता परिचय–पत्र।
3. सामाजिक कार्यानुभव का प्रमाण–पत्र।
4. विशिष्ट उपलब्धि या कार्य से संबंधित प्रमाण–पत्र।
5. अन्य प्रमाण–पत्र (.....)।

स्थान :–
दिनांक :–

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय, झाबुआ (म.प्र.)

क्रमांक/1012/पी.एल.व्ही./जिविसेप्रा/26 झाबुआ, दिनांक 24/09/2026

//विज्ञापन//

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की कार्य योजनाओं के कियान्वयन एवं सहयोग के लिए ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों, स्कूल, कालेज एवं अन्य स्थानों में स्थापित किये जाने वाले लीगल एड क्लीनिक में समाज के कमजोर, पिछड़े तथा पीड़ित व्यक्तियों को सहायता, सलाह एवं गुमशुदा बच्चों को मद्द करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ एवं तहसील विधिक सेवा समिति थांदला/पेटलावद द्वारा पैरालीगल वालेंटियर्स (पी.एल.व्ही.) के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है।

विशेष नोट –

1. पैरालीगल वालेन्टियर्स का कार्य पूर्णतः सेवा का कार्य है, नौकरी नहीं हैं। इसके लिए कोई वेतन/मजदूरी देय नही है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार समय–समय पर पैरालीगल वालेंन्टियर को निर्धारित मानदेय देय होगा।
2. आयु सीमा– कोई आयु सीमा निर्धारित नही है, बशर्ते आवेदक स्वस्थ हो तथा उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा शारीरिक दोष न हो, जो उसे कार्य करने के लिए अक्षम बनाता है।
3. शैक्षणिक योग्यता–कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।
4. निम्न समूह के व्यक्तियों को चयन में प्राथमिकता दी जावेगी–
 (1) शिक्षक (सेवानिवृत्त शिक्षक सहित)।
 (2) सेवानिवृत्त शासकीय सेवक एवं वरिष्ठ नागरिक।
 (3) एम.एस.डब्ल्यू. के विद्यार्थी एवं शिक्षक।
 (4) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता।

(5) चिकित्सक।

(6) विधि विद्यार्थी एवं अन्य विद्यार्थी (जो अधिवक्ता के रूप में नामांकित न हो)।

(7) एन.जी.ओ. एवं क्लब के सदस्य।

(8) महिला समूहों, मैत्री संघों, स्व–सहायता समूहों के सदस्य।

आवेदन की नियत तिथि –

आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर **दिनांक 25.09.2026 से दिनांक 26.10.2026 सांय 05:00 बजे तक** जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर झाबुआ में जमा किया जा सकता है। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पत्रों पर कोई विचार नही किया जावेगा। वे स्वतः निरस्त माने जायेगें।

चयन प्रकिया –

जिला न्यायालय झाबुआ में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के एक सप्ताह के भीतर प्राप्त समस्त आवेदनों की जॉच कर पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाकर जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ के सूचना पटल पर चस्पा एवं जिला न्यायालय झाबुआ की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा।

समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थीयों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जावेगा। उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु पृथक से सूचना जारी की जायेगी।

चयन समिति को किसी भी उम्मीदवार का आवेदन स्वीकार/रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं समिति का निर्णय अंतिम होगा।

न्यायाधीश/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ

Secretary
District Legal Services Authority
District Court Jhabua (M.P.)